

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0डी0-91/720- अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़के तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास-प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप-धारा (i)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शे में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव लोहसिंगहानी के प्राथमिक विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव लोहसिंगहानी में प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा- अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पीद्ध (जी) 129/90 दिनांक 30 मार्च, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम:- गांव लोहसिंगहानी की समूची राजस्व सम्पदा।

तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22th January, 1991

No. J.D.-91/720- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, as amended upto date and all other powers enabling him the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School, Village, Lohsinghani, District-Gurgaon as specified in the Schedule given bak wand shown on the plan appended hereto, to be a controlled area, for the purposes of the said Act.

ANNEXURE

Schedule of Boundaries of the controlled area around Primary School at Village Lohsinghani, Distt. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 129/90 dated 30th march 1990.

SCHEDULE

North East/South and West:- The entire revenue estates of village Lohsinghani.

TARSEM LAL

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.